UPAZ010083722025

Presented on : 11-09-2025
Registered on : 11-09-2025
Decided on : 24-09-2025
Duration : 0 years, 0 months, 13 days

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),आजमगढ़।
Bail Application/4434/2025

1–रूपचन्द्र यादव, उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र जयराम,

2–सतीश, उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र रूपचन्द्र,

3–आकाश, उम्र करीब 23 वर्ष पुत्र रूपचन्द्र,

4–अंशुल उर्फ आदित्य, उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र रमेश यादव, निवासी केदलीपुर, थाना बरदह, जिला आजमगढ़।

--------आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उ०प्र०सरकार ----------विपक्षी।

दिनांक–24.09.2025

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **1– रूपचन्द्र यादव, 2– सतीश, 3– आकाश एवं 4– अंशुल उर्फ आदित्य** की तरफ से **मु०अ०सं० 224/2024,** अन्तर्गत **धारा–323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, 3(1)ध, 3(2) 5क एस०सी०/एस०टी० एक्ट**, थाना **बरदह,** जनपद आजमगढ़ के प्रकरण में जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण आज समक्ष न्यायालय आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में रमेश का शपथपत्र प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थनापत्र में वर्णित सभी तथ्यों को सही एवं सत्य होना कहा गया है।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैं कि,दिनांक 30.06.2024 को शाम 06 बजे वादी की दुकान पर चढ़कर मां बहन की गाली देकर जाति सूचक शब्द(खटिक, कुजड़ा) कहकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वे निर्दोष हैं, रंजिशवश मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाये गये हैं। कथित घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुकदमे का क्रास केस है। वे लोग जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया गया है।

5– जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुये तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान पर चढ़कर मां बहन की गाली देकर जाति सूचक शब्द(खटिक, कुजड़ा) कहकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गयी।

Digitally signed by KAMALA PATI PAL
Date: 2025.09.24 16:35:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः उनका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

6– मैंने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को विस्तार से सुना व पत्रावली का सम्यक अवलोकन, परिशीलन किया।

7– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध धारा–323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1) द, 3(1)ध, 3(2) 5क एस०सी०/ एस०टी० एक्ट अंतर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। मामले में अभियुक्तगण द्वारा वादी की दुकान पर चढ़कर मां बहन की गाली देकर जाति सूचक शब्द(खटिक, कुजड़ा) कहकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। कथित अपराध सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्तगण आज समक्ष न्यायालय आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

8– अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री व माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था सत्येन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी०बी०आई० व अन्य को दृष्टिगत रखते हुए वाद के इस स्तर पर गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार उनकी तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **1–रूपचन्द्र यादव, 2–सतीश,3–3–आकाश एवं 4–अंशुल उर्फ आदित्य** की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उनके प्रत्येक के द्वारा मुब० 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये–

01- आवेदकगण/अभियुक्तगण अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगे।

02- दौरान विचारण अभियोजन साक्षीगण को भयभीत व प्रभावित नहीं करेगे।

03- न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर अभियुक्त स्वयं उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगे।

04- आवेदकगण/अभियुक्तगण सम्बन्धित मुकदमें में आरोप विरचन, बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० अभिलिखित किये जाने तथा बहस हेतु नियत तिथियों पर अथवा न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित रहेगे।

05- आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में परीक्षण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

दिनांक–24.09.2025

(कमलापति–I)
J.O. Code-UP-6168
विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
आजमगढ़।